न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री पवन कुमार आर.ए.एस.
(न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प कोर्ट बलदेवगढ)

वाद संख्या :– 02 / 40 / 2010

शिम्भू बनाम बट्टूनाथ
प्रार्थना पत्र 212 आर.टी. एक्ट

दिनांक 31.05.2018

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय स्वप्रेरणा से कैम्प कोर्ट बलदेवगढ पर पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में दिनांक 05.04.2010 को आराजी विवादित हाल खसरा नम्बर 555, 558, 559, 560 वाके ग्राम नांगलकरणा तहसील राजगढ में एकतरफा बहस वकील वादी सुनी जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई थी। प्रकरण वर्ष 2010 से बिना किसी आदेश के विचाराधीन चल रहा है जिसका अभी निस्तारण नहीं हुआ है, जिसको करीब 8 वर्ष का समय हो गया है। इसलिए प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्वीकार योग्य है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट आराजी विवादित हाल खसरा नम्बर 555, 558, 559, 560 वाके ग्राम नांगलकरणा तहसील राजगढ अस्वीकार किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 31.05. 2018 कैम्प कोर्ट बलदेवगढ पर सुनाया गया।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति मूलवाद के संलग्न हो।

(पवन कुमार, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)
(कैम्प कोर्ट बलदेवगढ)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Unofficial